



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 145]
No. 145]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 1984/वैशाख 13, 1906
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 3, 1984/VAISAKHA 13, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 3 मई, 1984

सा. का. नि. 322(अ) :—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान
हो गया है कि निम्नलिखित अधिसूचनाओं, अर्थात् :—

- (1) आक्सिटेटासाइक्लीन एवं मुख्य विनिर्मातियों और
- (2) डिमेक्लोसाइक्लीन द्वय मुख्य विनिर्मातियों के
प्रयोग से मानव जीवन को क्षति होने की संभावना
है और लोकाहित में ऐसा करना आवश्यक और
समीचीन है, अतः केन्द्रीय सरकार, औषधि और
प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का
23) की धारा 26क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के स्वास्थ्य
और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना
सं. सा. का. नि. 578 (अ) तारीख 23 जुलाई,
1983 का निम्नलिखित और संशोधन करती है,
अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी में क्रम संख्यांक
23 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम
संख्यांक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“24. आक्सिटेटासाइक्लीन द्वय मुख्य विनिर्मातियों

26. डिमेक्लोसाइक्लीन द्वय मुख्य विनिर्मातियों।”

टिप्पण : भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 578
(अ) तारीख 23-7-1983 का अंतिम संशोधन भारत
के राजपत्र, असाधारण भाग 2 खण्ड 3 उपखण्ड
(1) में प्रकाशित निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा
किया गया; अर्थात् :—

1. सा. का. नि. 49 (अ) तारीख 31 जनवरी, 1983

[सं. एक्स 11014/7/83-डी एम एस एण्ड पी एफ ए]
एस. वी. सुब्रह्मण्यम्, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY
WELFARE
NOTIFICATION

New Delhi, 3rd May, 1984

G.S.R. 322(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the use of the following drugs, namely:—

(1) Oxytetracycline Liquid Oral Preparations and

(2) Demeclocycline Liquid Oral Preparations, is likely to involve risk to human beings and it is necessary and expedient in the public interest so to do;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 26A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) the Central Government hereby make the following further amendment in the notification of the Government of India in the Min-

istry of Health and Family Welfare No. GSR 578 (E), dated 23rd July, 1983, namely:—

In the Table appended to the said notification, after serial number 23 and the entry relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

“24. Oxytetracycline Liquid Oral Preparations.

25. Demeclocycline Liquid Oral Preparations.”

Note : Government of India Ministry of Health and Family Welfare Notification No. G. S. R. 578 (E) dated 23-7-1983 was last amended by the following notification published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), namely:—

1.G .S. R. 49(E) dated 31st January, 1984.

[No. X. 11014/7/83--DMS & PFA]
S. V. SUBRAMANIYAN, Jt.Secy.